

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-18/एम/()/2018/

दिनांक

आदेश

सुश्री प्रिती निमेश, कनिष्ठ सहायक, अधीनस्थ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा को उनके आवेदन एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारी की अभिशंषा पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 के साक्षात्कार दिनांक 7.3.2018 में सम्मिलित होने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- 1- कार्मिक का चयन आवेदित पद पर होने की स्थिति में वे संबंधित अधिकारी से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर जावेंगी ।
- 2- कार्मिक का चयन आवेदित पद पर होने की स्थिति में इस विभाग से इनका लियन समाप्त हो जावेगा ।
- 3- कार्मिक को केवल साक्षात्कार दिवस 7.3.2018 के लिये ही अनुमत किया जाता है ।

(राकेश शर्मा)

अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज०जयपुर
दिनांक 06/03/18

क्रमांक: ई-18/एम/(^{प्रिती})/2018/526

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा को उनके पत्र क्रमांक 2077 दिनांक 27.2.2018 के संदर्भ में प्रेषित है ।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपखण्ड- महुआ, जिला- दौसा ।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, क.नं. 302, मुख्यालय ।
5. सुश्री प्रिती निमेश, कनिष्ठ सहायक
6. आदेश पत्रावली ।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज०जयपुर